



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY**

PUBLISHED BY AUTHORITY

27 FALGUN, 1944 (S)

No. 161

RANCHI, SATURDAY 18th MARCH, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
14th March, 2023

Notification No.- 12/2022 – State Tax(Rate)

S.O. No. 8, Dated 14th March, 2023:- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 2.5%, -

- i. against S. No. 102A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)”;
- ii. against S. No. 103A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]”;

(B) in Schedule II – 6%, -

- (i) against S. No.48, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]”;
- (ii) against S. No.180, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes”;

(C) in Schedule III – 9%, against S. No.25, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of January, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

Note: - The principal notification No.1/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 06/2022 – State Tax (Rate), dated the 23rd August, 2022, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 27, dated the 23rd August, 2022.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 12/2022- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 8, दिनांक 14 मार्च, 2023 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I में- 2.5%, -

(i) क्रमांक 102क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो;

(ii) क्रमांक 103(अ) के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशशष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय फीड समेत झींगा फीड और झींगा फीड, पोल्ट्री फीड और पशु फीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र, गेहूं की भूसी डी-ऑइल के कसे भिन्ना]”;

ख. अनुसूची II में - 6%, -

(iii) क्रमांक 48 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“फलों के पल्प या फलों के रस आधारित पेय [फल रस का कार्बोनेटेड बिबरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिबरेज के अलावा]”;

(iv) क्रमांक 180 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“मैथमेटिकल बॉक्सेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस और कलर बॉक्सेस”;

ग. अनुसूची III में -9%, क्रमांक 25 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“किसी भी सांद्रता के एथाइल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट्स, डिनेचर्ड, [एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो से भिन्न]”;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,

प्रधान सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2022- राज्य कर (दर), दिनांक 23 अगस्त, 2022 जिसे एस. ओ. सं. 27, दिनांक 23 अगस्त, 2022, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।
